महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

फोन नं– 0151–2212046, ईमेल एड्रेस– comptroller@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक :F-4 ( )/मगसविबी/स्टोर/वि.टेंडर/2015/ 29966 दिनांक : 01-12-15

निविदा सूचना

विश्वविध्यालय में वार्षिक दर संविदा के लिए अनुभवी, पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से अनुबंध निष्पादन कि तिथि से एक वर्ष के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं । जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि रू.	निविदा शुल्क रू
1.	विश्वविध्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री आपूर्ति	6.00	12,000/-	200
2.	विश्वविध्यालय के कार्यो के लिए किराए के वाहन	20.00	40,000/-	400
3.	विश्वविध्यालय में पुस्तकालय के लिए फर्नीचर क्रय	15.00	30,000/-	400
4.	माइक्रोबायोलॉजी विभाग में विभिन्न उपकरण क्रय	11.40	22,800/-	400

नोट : 1.बिना धरोहर राशि, सशर्त,अपूर्ण निविदाएँ मान्य नहीं होगी 2. प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग मोहरबंद निविदाएँ लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित हो, धरोहर राशि मय निविदा शुल्क सहित दिनांक 17.12.15 को मध्यान्ह 2:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में जमा की जायेंगी एवं उसी दिन मध्यान्ह 03:00 बजे निविदायें खोली जायेंगी 3.अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में निविदा प्राप्त कर खोली जायेगी 4.निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविध्यालय की वेबसाइट **www.mgsubikaner.ac.in** एवं **http:// sppp .rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है , उक्त निविदा प्रपत्र एवं शर्तें डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती हैं 5. डाक द्वारा निविदाएँ मान्य नहीं होंगी ।

वित्त नियंत्रक

महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर में मासिक आधार पर/मांग पर वाहन (टैक्सी/पब्लिक यूटीलिटि परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा देने वाले का नाम एवं हैसियत ....
2. पूरा पता ....

   ....
3. आयकर पैन नं. ....
4. संदर्भ ....
5. निविदा शुल्क जमा राषि ....

   रसीद संख्या/दिनांक ....
6. मैं/हम विष्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या.......................................दिनांक.......................................तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं तथा अंकित शर्तों की पालना में सभी पृष्ठों पर हस्तारक्षर करते हैं।
7. बयाना राषि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या.......................................दिनांक.......................................

   आहरित बैंक का नाम.......................................रोकड़ संख्या..............................दिनांक.............................. राषि.......................................संलग्न है।
8. परिवहन विभाग का आर.आर.टी./पंजीयन संख्या.......................................संलग्न है।

निविदादाता के हस्तारक्षर
एवं पूरा पता पैन नं. फोन नं.

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर में मासिक आधार पर/मांग पर वाहन (टैक्सी/पब्लिक यूटीलिटि परमिट सहित) उपलब्ध करवाने हेतु हमारी दरें (सेवाकर सहित) निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.		विवरण			डीजल सहित	
					एसी	नॉन एसी
I	A	इण्डिका कार	(i)	किराया प्रति कि.मी.		
			(ii)	किराया प्रति माह 1500 कि.मी. तक		
			(iii)	1500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया		
			(iv)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक		
	B	डिजायर, इण्डिगो	(i)	किराया प्रति कि.मी.		
			(ii)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक		
II	A	स्पेसियो, बोलेरो, टवेरा	(i)	किराया प्रति कि.मी.		
			(ii)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक		
	B	इनोवा	(i)	किराया प्रति कि.मी.		
			(ii)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक		
	C	पिक अप/ यूटिलिटि (बंद बॉडी)	(i)	किराया प्रति कि.मी.	–	
			(ii)	किराया प्रति दिन 150 कि.मी. तक	–	
			(iii)	किराया प्रति माह 2500 कि.मी. तक	–	
			(iv)	2500 कि.मी. प्रति माह से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया	–	
III	A	मिनी बस (24 सीट)	(i)	किराया प्रति कि.मी.	–	
	B	मिनी बस (36 सीट)	(i)	किराया प्रति कि.मी.	–	
	C	मिनी बस (42 सीट)	(i)	किराया प्रति कि.मी.	–	
IV	A	मिनी ट्रक (बंद बॉडी)	(i)	किराया प्रति कि.मी.	–	

निविदादाता के हस्ताक्षर

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004(राजस्थान) भारत

वाहन आपूर्ति हेतु दर संविदा की शर्तेः–

1. निविदादाता द्वारा निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से एक बड़े लिफाफे में (दोनों मुहरबंद लिफाफों सहित) मोहरबंद करके दिनांक 17.12.15 को मध्यान्ह : 02:00 बजे तक वित्त नियंत्रक कक्ष में प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रथम सीलबंद लिफ़ाफ़े में निविदा शर्तानुसार तकनिकी बिड प्रपत्र भरते हुए वांछित दस्तावेज सलग्न करते हुए लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में " विश्वविध्यालय में किराए के वाहन की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत -तकनिकी बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दुसरे सीलबंद लिफाफे में निविदा शर्तानुसार वित्तीय बिड प्रपत्र भरते हुए निविदा के अनुरूप वित्तीय पात्रता हेतु लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में "विश्वविध्यालय में किराए के वाहन की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत -वित्तीय बिड" अंकित करते हुए प्रस्तुत करनी होगी । दोनों लिफाफों में निविदादाता द्वारा डबलबिड सिस्टम के अंतर्गत उचित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट अक्षरों में "विश्वविध्यालय में किराए की वाहन आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित करनी होगी तब ही स्वीकार की जायेगी । तकनिकी रूप से पात्र पायी गयी फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी ।
2. राजस्थान परिवहन अधिनियम/नियमों के अधीन पंजीकृत वाहनों के लिए ही निविदाएं मान्य होंगी।
3. इण्डिका कार एवं बसों में न्यूनतम दरदाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. विष्वविद्यालय द्वारा वाहन मांगने पर तत्काल (3 घण्टे में) उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
5. वाहन की प्रति किलोमीटर, प्रति दिन डीजल सहित दरें देनी होगी। दरें स्पष्ट पठनीय अंकों व शब्दों में बिना कांट–छांट देनी होगी। कांट–छांट यदि कोई हो तो लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित करें। निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 40,000/– धरोहर राषि बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा ''वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर'' के नाम से जमा करवानी होगी।
6. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
7. निविदा स्वीकृत होने पर 1,00,000/– रू. बैंकर्स चैक/डीडी द्वारा प्रतिभूति राषि के रूप में ''वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर'' के नाम से जमा करवाने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उक्त राषि अनुबंध के सुचारू रूप से सम्पूर्ण होने के बाद नियमानुसार लौटाई जावेगी। निविदा के साथ जमा कराई गयी धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित करली जावेगी।

8. सफल निविदादाता को नियमानुसार देय राषि के नोन–ज्यूडिषियल स्टाम्प पर 10 दिवस में अनुबंध करना होगा अन्यथा धरोहर राषि जब्त कर ली जावेगी।

9. वाहनों का उपयोग कार्यालय दौरों एवं परीक्षा सामग्री के परिवहन हेतु राजस्थान प्रदेष से बाहर भी किया जा सकेगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

10. वाहन उपयोग हेतु स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा न ही अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/टैक्स, टॉल टैक्स आदि का भुगतान स्वयं संवेदक द्वारा किया जायेगा।

11. संविदात्मक भुगतान में से नियमानुसार आयकर आदि की कटौती की जाएगी।

12. प्रतिदिन की दर से किराये पर लिये गये वाहन हेतु 150 किमी तक निर्धारित दर से भुगतान किया जाएगा एवं इससे से अधिक चलने पर अधिक किमी के लिये प्रति किमी की दर से भुगतान किया जाएगा।

13. अपेक्षित वाहन एवं वाहन चालक के समस्त कागजात नियमानुसार पूर्ण एवं अद्यतन होने चाहिए।

14. वाहन का पंजीकरण, बीमा संबंधी व्यय एवं ड्राईवर के लाइसेंस आदि की व्यवस्था संवेदक की होगी। यदि परिवहन विभाग द्वारा कोई पैनेल्टी लगाई जाती है तो उसके भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा। समस्त दस्तावेजों (वाहन पंजीकरण, बीमा, रोड टैक्स, ड्राईवर के लाइसेंस आदि) की प्रमाणित प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

15. वाहन बीकानेर से किसी गंतव्य स्थल पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईंधन एवं वाहन की मरम्मत सम्बन्धी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे।

16. यात्रा के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नषे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।

17. वाहन की दुर्घटना होने पर वाहन एवं अन्य किसी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए केवल संवेदक उत्तरदायी होगा तथा विष्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था निविदादाता की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राषि की वसूली संवेदक से की जावेगी।

19. विश्वविद्यालय में आपूर्तित वाहन का पंजीयन वर्ष 2009 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

20. विष्वविद्यालय परीक्षा का कार्य अतिमहत्वपूर्ण है। वाहन आपूर्ति के संबंध में निर्धारित समय एवं तिथियों का विषेष रूप से ध्यान रखना होगा।

21. गोपनीय कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा गोपनीयता बरते जाने की अण्डरटेकिंग देनी होगी।

22. विष्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देषों व उपबंधों की पालना करनी होगी।

23. कुलसचिव, वित–नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक एवं पूल अधिकारी के लिखित आदेश में अंकित वाहन ही उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार आदेशानुसार ही भुगतान किया जाएगा।
24. इस अनुबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के सम्बन्ध में कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।
25. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
26. सषर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
27. यह अनुबंध करार की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा जो कि विश्वविद्यालय एवं संवेदक की परस्पर सहमति से नियमानुसार आगे बढाया जा सकता है।

उपरोक्त क्र.सं 01 से 26 तक सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं एवं समझ ली है तथा उक्त समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वित्त नियंत्रक
महाराजा गंगासिंह विष्वविद्यालय, बीकानेर